

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की
क्रम सं० 24
मध्य 12.05 P.M.
तिथि 24/4/14

आर०ओ०-02-पश्चिम चम्पारण
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 24/4

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

..... उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट

..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं०

पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम मोहन कुमार

पिता/माता/पति का नाम स्व० दीनानाथ प्रसाद

उसका डाक पता कौट नं-4 ग्राम-पो० चण्डीगढ़, प० चम्पारण, बिहार, 845443

उसका नाम 02-पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट 07-निपटिग विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 32 में क्रम सं० 351 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदिष्ट है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

मोहन कुमार

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5		7
1	07-चणपरिया	32	345	गीता देवी	गीता देवी	23.04.2014
2	07-चणपरिया	32	344	अरिन्दु जसाड	अरिन्दु जसाड	23/04/14
3	08, वेतिया	050	288	निद्यानन्द शुक्ला	निद्यानन्द शुक्ला	24.4.14
4	06, गौतम	129	92	निद्यानन्द शुक्ला	निद्यानन्द शुक्ला	24.4.14
5	08 वेतिया	130	79	आजाद त्रिपाठी	आजाद त्रिपाठी	24.4.14
6	08, वेतिया	00	602	आमोद कुमार सिंह	आमोद कुमार सिंह	24.4.14
7	08 वेतिया	58	1043	शम्भु प्रसाद यादव	शम्भु प्रसाद यादव	24.4.14
8	07, चणपरिया	86	551	चन्देकर यादव	चन्देकर यादव	24.4.14
9	01,6 गौतम	44	311	प्रभु कुमारी ET	प्रभु कुमारी	24.4.14
10	07 चणपरिया	86	37	गोवर्धन राम	गोवर्धन राम	24.4.14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मे, ~~भाग-1/~~भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में शुद्ध दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में शुद्ध दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो ~~अतिरिक्त~~ ~~अमान्यताप्राप्त~~ ~~राजनैतिक~~ दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) शुद्ध (ii) वासुदेव (iii) विष्णु है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

गोवर्धन कुमार

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान करने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति-बन-सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित राज्य नहीं **जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 24.04.2014

मोहन कुमार
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- 'मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल' से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

नहीं
हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक शून्य
(ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य
जिला (जिले) शून्य
राज्य शून्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शून्य
शून्य

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) शून्य
शून्य

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शून्य
शून्य

मोहन कुमार

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
शुन्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
शुन्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :- हाँ/नहीं
नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टता :- शुन्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) सम्मल अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- शुन्य
शुन्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है
शुन्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
शुन्य
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति
शुन्य

स्थान :- वेरिंगा, पश्चिम चम्पारण

तारीख :- 24-04-2014

मौहन कुमार
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 24

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 24-4-2014 (तारीख) को 12-05 PM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 24-4-2014

निवांजी
 (रिटर्निंग आफिसर)
 02-पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

*जो शब्द तागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 38 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)



COURT FEE

0000100

23.4.2011

Authorization No. 5 प्ररूप 26

375349

BIH



(नियम 4क देखिए)

Handwritten signature and stamp

02- पश्चिम चम्पारण निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

1023
23/4/11

भाग-क

मौहन कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. दीनानाथ प्रसाद आयु 35 वर्ष
जो कार्ड नं. 4 ग्राम + पोस्ट: चनपटिया, जिला: प. चम्पारण विहार, 845443
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की-निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/
करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 07-चनपटिया विहार, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 32 के क्रम सं. 351 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हे/हैं +91-9717445149
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है mahankumarhkti@gmail.com
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (अगर कोई हो) है www.facebook.com/tejnahiputra-mohan

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)
1.	स्वयं	मौहन कुमार	ALIPK9400B 2009-10	394887
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं	शुन्म	शुन्म
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	शुन्म	शुन्म
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	शुन्म	शुन्म
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	शुन्म	शुन्म



मौहन कुमार

Identified by
B. S. Singh
Date: 11/11

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अनिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। **नहीं**

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्म
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्म
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्म
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्म
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्म
(च)	क्या रुपी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/हैं	शुन्म

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से निम्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्म
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन्म
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन्म

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) ने निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न-के लिए सिद्धांश इस्तकाम-नम-है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है



मोहन कुमार

यदि अधिसूची उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष उल्लेखित किया गया और दंडादेश प्रकिया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष उल्लेखित किया गया है और न्यायालय द्वारा कार्रवाई का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष उल्लेखित किया गया है	लागु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	लागु नहीं
(ग)	अधिसूचित दंड	लागु नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष उल्लेखित के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रास्थिति	लागु नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम के आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों के चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्करा दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	15,000	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म

23/4/14

मोहन कुमार

Identified by
B. Vinodini
20.4.14

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा वृत्तियों में विनिधान के ब्यारे और रकम	A/C Demand MOKU001E ₹ 5,157.85	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	राष्ट्रीय बचत योजना ₹ 25,000	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्ष, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	2006 KAB1 MB 336 2,55,000 2003 KAB3 EL/007 27,000	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 3,89,157.85	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्त्वया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र(एकड़ में कुल षण)	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां/नहीं)	हां	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



मोहन कुमार

Identified by
Signature
Date
22.4.11

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ii)	गेर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	खस्रा 608 खस्रा 33	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	750	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	5 लाख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	बर्ड नं. 4 कान नं. 135	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)					

~~मोहन कुमार~~

Identified by
श्री. लखवी
24.11


23/11/24

क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	200	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	200	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	5 लाख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	10 लाख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म

8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	कोई अन्य दायित्व	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	दायित्वों का कुल योग	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से भरतने वाले विभागों को शोध्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	जल आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विद्युत आपूर्ति से भरतने वाले	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म


 Notary
 2013 SHAMBAHU
 2013

मोहन कुमार
 Identified by
 Shyamkanti
 Adv.

विभाग को शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
आय-कर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
धनकर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
सेवाकर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
विक्रयकर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
कोई अन्य शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके सम्मल यह लंबित है का वर्णन करें।	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

9) वृत्ति या उपजीविका के बारे में

(क) स्वयं प्रोविडेंट फंड
(ख) पति या पत्नी लागु नहीं

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

मास्टर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन
एच.बी.टी.टी.आई. कानपुर, 30.08.2003

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
शिक्षा के बारे में देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा
किया गया था, का ब्योरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्योरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु- <u>मोहन कुमार</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>हाईवे नं. 4, ग्राम + पोस्ट: चनपटिया, पश्चिम चम्पारण, बिहार, 845449</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>07 - चनपटिया विधान सभा, बिहार</u>

20/11/13

मोहन कुमार

Identified by
Signature:
Date:
23-11-13

Authority
Under Notaries Act & Rule
197 Cr. P. Code 1973

4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अथवा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे तंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागु नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागु नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें शिद्धवेष टहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागु नहीं				
7	_____ का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आधार विवरणी फाइल की गई है।		कुल दंडित आय		
	(क) अभ्यर्थी	ALIPK94008	2009-2010	₹ 39,4887		
	(ख) पति या पत्नी	शुन्म	शुन्म	शुन्म		
	(ग) आश्रित	शुन्म	शुन्म	शुन्म		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	10 लाख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	कि	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	10 लाख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म



मोहन कुमार

Identified by
विश्ववीर
Adv.
23.4.14

	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	10 लाख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
9	दायित्व					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: मास्टर ऑफ कम्यूटर अप्लीकेशन एन्स० वी० डी० आई, कानपुर, ग्र० प्र० प्रायो० विश्वविद्यालय, 2003 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 23.04.2014 को सत्यापित किया गया।

मोहन कुमार
अभिसाक्षी

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 300 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सम्मक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के सम्मक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शुन्म" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



मोहन कुमार

Identified by
Rishadulahi
Adv.
23.4.14